न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy...Not Official

प्रकरण सख्या : 4/2018

हरिशंकर पुत्र श्री चतुर्भुज जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

....अपीलान्ट

♠ बनाम ♠

1. बाल मुकन्द पुत्र श्री देवलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....रेस्पोडेन्ट

अपील इन्तकाल संख्या 180 दिनांक 29.06.2001

ग्राम पंचायत शाहपुरा तहसील मांगरोल

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील अपीलान्ट : श्री दया कृष्ण धाकड

निर्णय दिनांक : 22.01.2019

दायरा दिनांकः 30.08.2018

प्रस्तुत अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के साथ शामलाती आराजी खसरा नं0 655 रकबा 0.12 है0 आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। एवं इंतकाल तस्दीक करने हेतु हल्का पटवारी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा रेस्पोडेंट क्रम 2 को सोपा लेकिन हल्का पटवारी शाहपुरा व सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा द्वारा बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को देखे बिना किसी अधिकार के केवल रेस्पोडेंट क्रम 1 के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट का नाम इन्तकाल से नदारद हो जाने से इन्तकाल नं0 180 ग्राम पंचायत शाहपुरा खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि इन्तकाल नं0 180 दिनांक 29.06.2001 ग्राम पंचायत शाहपुरा तहसील मांगरोल निरस्त किया जाकर पुनः जांच व तस्दीक किये जाने इन्तकाल रेस्पोडेन्ट क्रम 3 के पास भिजवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय की अपील इंतकाल प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। बावजूद सूचना रेस्पोडेंट आज दिनांक तक अनुपस्थित है। अतः रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर रेस्पोडेंट को एक्स पार्टी घोषित किया गया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन व गहन अध्ययन किया गया। प्रकरण में बहस फाईनल वकील अपीलान्ट एक पक्षीय दिनांक 22.01.2019 को सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील इंतकाल में उल्लेखित तथ्यो को ही दोहराया और न्यायालय का ध्यान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.

की ओर आकर्षित किया जिसके अनुसार ग्राम शाहपुरा की आराजी खसरा नं0 655 रकबा 0.12 है0 अपीलान्ट व रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा शामलाती रूप से क्रय की गयी थी। परन्तु हल्का पटवारी शाहपुरा व सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा द्वारा बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को देखे इंतकाल नं0 180 दिनांक 29.06.2001 केवल रेस्पोडेंट कम 1 बाल मुकन्द पुत्र श्री देवलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल के पक्ष में तस्दीक कर दिया। जो कि गलत है।

न्यायालय वकील अपीलान्ट की बहस से संतुष्ट है एवं संलग्न दस्तावेज यथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2001 की रोशनी में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं हल्का पटवारी शाहपुरा व सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा द्वारा बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को देखे तस्दीक किया गया इंतकाल नं0 180 दिनांक 29.06.2001 खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि ग्राम शाहपुरा की आराजी खसरा नं0 655 रकबा 0.12 है0 की राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 30.05.2001 दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किय जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना